न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 36/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/151

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
1. श्रीमती बदामी पत्नी स्व. श्री सोनाराम जाति कुम्हार निवासी– कुरना तहसील पाली, जिला पाली 2. भाग्यवंती पुत्री स्व. श्री सोनाराम पत्नी अशोक कुमार जाति कुम्हार निवासी– कुरना, तहसील पाली, जिला पाली हाल निवासी– इटन्दरा चारणान तहसील रानी, जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली, जिला पाली 2. उषा पुत्री स्व. श्री सोनाराम 3. जवानाराम पुत्र स्व. श्री सोनाराम 4. मोहनलाल पुत्र स्व. श्री सोनाराम 5. राणाराम पुत्र स्व. श्री सोनाराम तमाम जातिगण कुम्हार, निवासीगण– कुरना तहसील पाली जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री खंगार राम पटेल
रेस्पोडेट संख्या 2, 3, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण पटेल
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक :– **06.01.2026**

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्ध तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4525 दिनांक 06.12.2024 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। वक्त बहस अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री खंगार राम पटेल उपस्थित हुए। वक्त बहस रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 3, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण पटेल उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम कुरना, पटवार हल्का कुरना, भ–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कुरना, तहसील पाली की सीमा में खाता संख्या 984 खसरा नम्बर 323, 330, 35, 36, 37, 421/2 एवं 424 कुल खसरा 07 कुल रकबा 9.3810 हैक्टेयर भूमि सोनाराम पुत्र हिम्मताराम प्रजापत, की कृषि भूमि आयी हुई है तथा खाता संख्या 986 के खसरा संख्या 44 व 45 कुल रकबा 0.6394 हैक्टेयर की कृषि भूमि आयी हुई है जिसमें स्व. सोनाराम पुत्र हिम्मताराम प्रजापत सामलात मे खातेदार थे तथा स्व. सोनाराम का 1/2 हिस्सा है तथा रेस्पो. संख्या 06 व 07 का 1/2 हिस्सा स्थित है। सोनाराम पुत्र हिम्मताराम प्रजापत की दिनांक 10.06.2024 को मृत्यु हो गई सोनाराम की मृत्यु होने पर उपरोक्त कृषि भूमि में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने आवेदन पत्र के विपरीत बिना दस्तावेजों की जॉच किये जैर नामान्तरकरण में अपीलाण्ट संख्या 01 बदामी के पति का नाम सोनाराम के स्थान पर त्रुटिवश राणाराम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलाण्ट संख्या 01 के पति का नाम सोनाराम है जो अपीलाण्ट के पहचान के सभी दस्तावेजों में अंकित है तथा उक्त नामान्तरकरण में अपीलाण्ट संख्या 02 भाग्यवंती का नाम त्रुटिवश भगवती दर्ज

कर दिया जबकि सही नाम भाग्यवंती है तथा पहचान के सभी दस्तावेजों में भी भाग्यवंती दर्ज है जिससे जैर नामान्तरकरण इस हद तक काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार कर जैर नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अपीलाण्ट्स द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट्स द्वारा पेश किये गये अपील मीमो व अपने साक्ष्य से यह कथन है कि अपीलाण्ट संख्या 01 बदामी के पति का वास्तविक नाम सोनाराम है, जबकि त्रुटिवश बदामी के पति का नाम सोनाराम के स्थान पर राणाराम दर्ज कर दिया गया व अपीलाण्ट संख्या 02 का वास्तविक नाम भाग्यवंती है लेकिन त्रुटिवश अपीलाण्ट संख्या 02 का नाम भाग्यवंती के स्थान पर भगवती दर्ज कर दिया गया है। इसलिए जैर नामान्तरकरण भरते समय त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये उक्त नाम का संशोधन किया जाये। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेज, रेकर्ड व साक्ष्य से अपीलाण्ट्स का उक्त तथ्य प्रथम–दृष्ट्या उचित प्रतीत होता है परन्तु फिर भी सम्पूर्ण जांच के बाद नाम के संशोधन का विषय है अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में स्थानीय निकाय एवं विधिवत उचित जांच कर प्रकरण में अपीलाण्ट्स के समस्त दस्तावेज यथा आधार पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, जन आधार आदि अनुसार अपीलाण्ट्स के नाम संशोधन संबंधित नव नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार पाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय में समस्त पक्षकारान् दिनांक 04.02.2026 को उपस्थित रहे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक **06.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली